अध्याय – XI

प्रधानमंत्री का अरूणाचल प्रदेश के लिए विशेष पैकेज

1. भूमिका

प्रधानमंत्री ने सौर ऊर्जा व लघु जल विद्युत परियोजनाओं द्वारा दिसम्बर 2011 तक गांवों[1] में बिजली लगाने /प्रकाशमय करने के लिए जनवरी 2008 में ₹ 550 करोड़ के पैकेज की घोषणा की। कार्यक्रम को मंत्रीमंडल की स्वीकृति से मार्च 2015 तक बढ़ाया गया था।

2. लक्ष्य तथा उपलब्धियाँ

प्रधानमंत्री के विशेष पैकेज की वर्षवार लक्ष्य और उपलबधियाँ तालिका 45 में दी गई हैं।

तालिका 45 : प्रधानमंत्री के विशेष पैकेज की वर्षवार लक्ष्य और उपलब्धियाँ

(संख्याओं में)

वर्ष	लक्ष्य				उपलब्धियाँ			
	घरो की संख्या		सीमा पर गांवों की संख्या		घर के बिजली सिस्टमों की संख्या		गांवों की संख्या	
	एसपीवी	एसएचपी	एसपीवी	एसएचपी	एसपीवी	एसएचपी	एसपीवी	एसएचपी
2008-09	5,758	48,331	546	868	-	27,859	-	216
2009-10	-	6,707	-	191	5,852	3,470	523	100
2010-11	-	-	-	-	-	2,339	-	58
2011-12	-		-	-	-	3,477	-	108
2012-13	-	-	-	-	-	664	-	27
2013-14	-	-	-	-	-	688	-	19
कुल	**5,758**	**55,038**	**546**	**1,059**	**5,852**	**38,497**	**523**	**528**

स्रोत : एपीईडीए और डीएचपीडी
नोट : एसपीवी–सौर प्रकाशवोल्टीय और एसएचपी–लघु जल विद्युत

जैसाकि तालिका 45 से देखा जा सकता है सीमा जिलों के 1,605 अविद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण किया जाना था जिसके लिए निधि योजना आयोग और एमएनआरई द्वारा दी गई थी। योजना आयोग और एमएनआरई के बीच लक्ष्यों और उपलब्धियों का सम्बन्ध विच्छेद तालिका 46 में दिया गया है।

[1] आरजीजीवीवाई के अन्तर्गत पूरे किए गए गांवों के अतिरिक्त।

तालिका 46 : योजना आयोग और एमएनआरई के लक्ष्यों और उपलब्धियों का सम्बन्ध विच्छेद

		योजना आयोग		एमएनआरई	
		लक्ष्य	उपलब्धियाँ	लक्ष्य	उपलब्धियाँ
गांवों की संख्या		486	303	1,119	748
घरो की संख्या		29,212	23,867	31,584	20,482
संख्या एसएचपी परियोजनाओं की (क्षमता मेगावाट में)	डीएचपीडी[2]	46 (61 मेगावाट)	37 (25 मेगावाट)	48 (16 मेगावाट)	35 (8 मेगावाट)
	एपीईडीए[3]			67 (2 मेगावाट)	42 (1 मेगावाट)

स्रोत : एपीईडीए और डीएचपीडी

योजना आयोग की उपलब्धियों में कमी मुख्य तौर पर नौ एसएचपी परियोजनाएं (36 मेगावाट) के पूरा न होने की वजह से था जिन पर ₹ 358.46 करोड़ (2007–08 पूर्व व्यय तथा अगस्त 2014 को राज्य शेयर शामिल) खर्च किया जा चुका था। 486 गांवों लक्ष्य के विपरीत केवल 303 बिजलीकृत किए गए थे।

एमएनआरई के लक्ष्यों व उपलब्धियों में कमी हुई क्योंकि हाइड्रो पावर डवलपमेंट विभाग (डीएचपीडी) ने 13 हाइडल परियोजनाओं (क्षमताः आठ मेगावाट) और एपीईडीए ने 25 परियोजनाओं (क्षमताः एक मेगावाट) ने को विभिन्न कारणों जैसे टर्नकी ठेकेदारो द्वारा परियोजनाओं के पूरा होने में देरी तथा निधि की गैर उपलब्धता, से पूरा नहीं कर पाए। देरी की अवधि 2 से 3 वर्ष थी। 1,119 गांवों के लक्ष्य के विपरीत केवल 748 बिजलीकृत हुए थे।

एमएनआरई ने बताया (मई 2015) कि कुछ परियोजनाओं में क्षेत्र स्थितियों के कारण देरी हुई और कुछ स्थापना के अन्तर्गत परियोजनाएं भारी वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हुई और डीएचपीडी ने एसएचपी परियोजनाओं को पूरा करने हेतु ₹ 1,719.11 करोड़ की अतिरिक्त निधि के लिए निवेदन किया।

3. बजटीय प्रावधान

2007–14 की अवधि का बजट और व्यय का विवरण तालिका 47 मे दिया है।

तालिका 47 : 2007–14 की अवधि का बजट और व्यय का विवरण (₹ करोड़ में)

वर्ष	एमएनआरई[4] द्वारा जारी की गई सी एफ ए	योजना आयोग द्वारा जारी निधि	राज्य/व्यक्तिगत अंश	वास्तविक व्यय 2007–14
2007-08	-	69.11	-	-
2008-09	18.73	100.14	1.86	126.01
2009-10	56.00	105.31	0.22	132.09
2010-11	60.75	-	1.28	149.62
2011-12	62.09	-	10.77	74.61
2012-13	34.00	-	23.95	49.58
2013-14	9.75	-	8.85	25.41
जोड़	**241.32**	**274.56**	**46.93**	**557.32**

स्रोत : एपीईडीए और डीएचपीडी

2 हाइड्रो पावर विकास विभाग

3 अरूणाचल प्रदेश ऊर्जा विकास एजेंसी

4 एमएनआरई द्वारा जारी सीएफए में 2007–08 से 2013–14 तक डिपाटमेंट ऑफ पावर (₹ 38 करोड़) डीएचपीडी (₹ 148.82 करोड़) और एपीईडीए (₹ 54.50 करोड़) को जारी की गई निधियाँ शामिल हैं।

2008–09 से 2013–14 की अवधि में ₹ 562.81 करोड़ की कुल उपलब्ध निधि में ₹ 5.49 करोड़ शेष छोड़ते हुए ₹ 557.32 करोड़ का व्यय हुआ।

3.1. निधि का अपयोजन

डीएचपीडी ने सिपिट व सिडिप एसएचपी परियोजनाओं के निर्माण हेतु 2008–09 में जारी ₹ 13.85 करोड़ में से ₹ 13.17 करोड़ को अपयोजित कर दिया (मार्च 2011) जिसे बाद में अक्टुबर 2011 में योजना आयोग के अनुमोदन के बिना 4 मेगावाट की हलाईपानी एसएचपी परियोजना की अतिरिक्त ईकाई के निर्माण हेतु खत्म कर दिया गया।

डीएचपीडी ने बताया कि मामला राज्य स्तरीय निगरानी समिति के समक्ष रखा गया तथा राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया, तथापि तर्थ यह रहा कि योजना आयोग से कोई अनुमोदन नही लिया गया।

एमएनआरई ने कोई टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की क्योंकि परियोजनाएं योजना आयोग द्वारा राज्य को सीधे तौर पर समर्पित की गईं।

4. विद्युत उत्पादन तथा कार्यान्वयन

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि कुछ परियोजनायें क्षतिग्रस्त उपकरणों, प्राकृतिक आपदाओं, मरम्मत की कमी, ठेकेदारों द्वारा परियोजनाओं को बीच में छोड़ने आदि कारणों से नहीं चल रही थीं, जिसके परिणामस्वरूप विद्युत उत्पादन में नुकसान हुआ। समग्र लेखापरीक्षा निष्कर्ष नीचे दिये गये है।

4.1. भूमि अधिग्रहण के लिए राज्य सरकार की निश्चित नीति की अनुपस्थिति

परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण, क्षतिपूर्ति, भू–स्वामियों का पुर्नवासन एवं बहाली के संबंध में राज्य सरकार की नीति अनुपस्थित रहते भूमि उपलब्धता को लेकर ग्रामीणों के साथ झगड़े के कारण श्रीकोरंग एसएचपी परियोजना (500 किलोवाट) को पूर्ण करने में 2 साल की देरी हुई। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.43 करोड़ की लागत वृद्धि हुई, जिसे टाला जा सकता था।

4.2. परिनिर्धारित नुकसान की गैर उगाही (एलडी)

उत्पादकों/ठेकेदारों के साथ हुए समझौते के नियम व शर्तों के अनुसार, यदि प्रतिष्ठापन/पूर्ति में एक निश्चित अवधि से ज्यादा देरी हुई तो 10 *प्रतिशत* की दर से एलडी चार्ज किया जाएगा। इस सम्बन्ध में लेखापरीक्षा निष्कर्ष तालिका 48 में दिये हैं।

तालिका 48 : ठेकेदार जिनसे परिनिर्धारित नुकसान (एलडी) नहीं वसूला गया

कमांक	कार्य का ब्यौरा	देरी की अवधि	एलडी की राशि (करोड़ ₹ में)
1	एपीईडीए ने टर्नकी ठेकेदारो (मैसर्स गीता फलो पम्पस, मैसर्स जलशक्ति इंजीनियरिंग, और मैसर्स उसविन) से 42 एसएचपी के पूरा होने में देरी तथा 25 एसएचपीएस के 55 माह तक पूरा न होने हेतु एलडी में कटौती नहीं की।	3 से 39 माह	1.18
2	ठेकेदारों नामतः मैसर्स सन एनर्जी सिस्टमस, गुजरात, मै. आइकाम टेली लिमिटेड, हैदराबाद, तथा रिलायंस इन्डस्ट्रीस लिमिटेड, कोलकाता से एसएचएलएस के संस्थापन और पूर्ति से संबंधित कार्य में हुई देरी।	आठ माह	0.86
3	हाइड्रो ऊर्जा विकास निगम अरूणाचल प्रदेश लिमिटेड (एचपीडीसीएपीएल) को योजना आयोग ने तवॉग जिले में संमाच वांचु एसएचपी (3 मेगावाट) हेतु ₹ 20.37 करोड़ स्वीकृत किए (जनवरी 2010)। मैसर्स नॉरटेक पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता, कार्य का केवल 80 *प्रतिशत* पूरा कर सका (अगस्त 2014)। ₹ 2.59 करोड़ की परफारमेंस बैंक गारंटी तथा ₹ 0.82 करोड़ की सुरक्षा जमा इकट्ठी नही की।	तीन वर्ष	1.29

4.3. गैर कार्यात्मक एसएचपी परियोजनाएँ

4.3.1 छह एसएचपी परियोजनाएँ बाढ में क्षतिग्रस्त होने के कारण कार्यन्वित नहीं रहीं

195 किलोवाट की क्षमता वाले छह एसएचपी परियोजनाएँ विभिन्न अवधियों में एक से 24 महीने से बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त पावर चैनल, हैड वर्क, तथा पैनस्टॉक पाइप की वजह से कार्य नही कर रही थीं। परिणामस्वरूप, परियोजनाओं पर ₹ 4.04 करोड़ का व्यय निष्फल रहा।

एमएनआरई (मई 2015) ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा कहा कि प्राकृतिक आपदाओं की वजह से 30 *प्रतिशत* परियोजनाएं कार्य नही कर रही है।

4.3.2 निष्फल व्यय

समझौता ज्ञापन (फरवरी 2001) के अनुसार, राष्ट्रीय हाइड्रो ऊर्जा निगम लिमिटेड (एनएचपीसी) ने कैम्बंग एमएचएस जो टर्नकी ठेकेदार, मैसर्स किरलोसकर ब्रदर्स, पुणे द्वारा पूरा किया गया था, डीएचपीडी को पूर्ण भार परीक्षण किए बिना परिचालन तथा रखरखाव के लिए सौंप दिया गया। परियोजना पर ₹ 62.43 करोड़ का व्यय हुआ।

दोषपूर्ण उपकरण के कारण परियोजना की ईकाई-III अप्रैल 2010 तक गैर–संचालित रही। समझौते के दोषपूर्ण देयताएं खण्ड-करार के खण्ड 27.2 के आनुसार टर्नकीं ठेकेदार, संचालन स्वीकृति की तिथि से 24 माह की अवधि तक सफल संचालन के लिए जिम्मेदार था। परन्तु ठेकेदार ने 49 माह के बाद भी दोषपूर्ण उपकरण को न तो मरम्मत कराया और न ही प्रतिस्थापित किया।

बाद में, जनवरी से जून 2014 तक कंपन व तेल रिसाव के कारण ईकाई-I व ईकाई-II भी बंद कर दिए गए। जून 2014 तक, टर्नकी ठेकेदार ने ईकाई-I व ईकाई-II की मरम्मत नहीं की थी। परिणामस्वरूप विभाग को ईकाई I के संबंध में 4.3 मिलियन यूनिट (एमयू) विद्युत तथा इकाई-II के संबंध में 4.3 मिलियन यूनिट उत्पादन की हानि हुई जबकि ईकाई-III के प्रतिष्ठापन के बाद गैर संचालन के परिणामस्वरूप 42.34 मिलियन यूनिट (मई 2010 से जून 2014) के संभावित उत्पादन की हानि हुई। इस प्रकार, परियोजना पर ₹ 62.43 करोड़ का व्यय निष्फल रहा। विभाग द्वारा विद्युत उपकरणों की मरम्मत व परिशोधन पर किया गया ₹ 0.32 करोड़ का व्यय भी टर्नकी ठेकेदार से नही वसूला गया।

डीएचपीडी अधिकारियों के साथ हुई एक्जिट क्रांफ्रेंस (दिसम्बर 2014) में, बताया गया कि ठेकेदार ने परियोजना (कैम्बंग एमएचएस) छोड़ दी। तथापि, कार्य को पुनः शुरू करने के लिए ठेकेदार को नोटिस भेजा गया था।

एमएनआरई ने बताया (मई 2015) कि कार्य अनुबंध के अनुसार कार्य को पूरा करने की राज्य की जिम्मेदारी थी।

4.3.3 निष्क्रीय लिरोमोबा एसएचपी

मैसर्स स्वामिना अंतर्राष्ट्रीय प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता ने अनुबंध तिथि (सितम्बर 2006) से 27 माह (मार्च 2009) की देरी के बाद लिरोमोवा एसएचपी परियोजना (2X1 मेगावाट) के विद्युतीय व मिकेनिकल (ईएण्डएम) उपकरण के जीर्णोद्धार, मरम्मत, नवीकरण, संशोधन, परिनिर्माण, परीक्षण व संस्थापन करने के कार्य को पूरा किया। परन्तु समझौते के नियम व शर्तों के अनुसार ठेकेदार से ₹ 0.14 करोड़ का एलडी नही वसूला गया। देरी के कारण भी रिकार्ड में नहीं थे। चालू होने (मार्च 2009) से अक्टूबर 2012 तक, इलैक्ट्रानिक गर्वनर में दिक्कत के कारण परियोजना, 130–140 किलोवाट के मैनुअल मोड़ पर संचालित किया गया, जो दोनों ईकाई के लिए 15 किलोवाट से ज्यादा लोड उठाने में असमर्थ थी। अक्टूबर 2012 से परियोजना गैर संचालित रही जिसके परिणामस्वरूप 3.25[5] करोड़ की 15.55 मिलियन यूनिट की संभावित उत्पादन की हानि हुई। विभाग ने ठेकेदार के जोखिम व लागत पर दोषपूर्ण उपकरणों की न तो मरम्मत कराई और न ही प्रतिस्थापित कराया।

4.3.4 ट्रान्समिशन और डिस्ट्रिवुशन (टीएण्डडी) लाइन्स की गैर उपलब्धता के कारण उपयोग में कमी

डीएचपीडी ने ₹ 0.88 करोड़ की लागत पर सोलांगमांग एसएचपी परियोजना (1X50 किलोवाट) (मैनचुका सर्किल) का निर्माण कराया, परन्तु पोषण और वितरण लाइन्स की गैर उपलब्धता के कारण लक्षित 8 गांवों के मुकाबले केवल एक गांव में ही बिजली पूर्ति की गई। आगे, परियोजना की पूरी 50 किलोवाट की क्षमता के मुकाबले केवल 15 किलोवाट क्षमता के संचालन की वजह से विभाग को ₹ 0.32[6] करोड़ मूल्य की 0.15 मिलियन यूनिट (अगस्त 2013 से जून 2014) उत्पादन की हानि हुई।

4.4 अवमानक कार्य

कार्य समझौते के दायरे के अनुसार, ठेकेदार को पाँच परियोजनाओं वाले जिलों में पाइप बिछाने, फिकिसिंग, दराजबंदी, संस्थापन तथा प्रतिष्ठापन से संबंधित कम से कम एक व्यावहारिक प्रदर्शन तथा पाँच से अधिक

[5] 15.55 मिलियन यूनिट @ 2.09 प्रति यूनिट = ₹ 3.25 करोड़।

[6] 0.15 मिलियन यूनिट @ 2.09 प्रति यूनिट = ₹ 0.32 करोड़।

परियोजनाओं वाले जिलों में कम से कम दो का प्रदर्शन देना था। यदि प्रदर्शन असफल रहा या सामग्री प्रदर्शन के दौरान या समय के बाद किसी बिन्दु पर अवमानक पाई गई तो उन्हे खारिज कर दिया जाएगा तथा जहाँ लागू हो, राशि वसूली जाएगी। तथापि, ठेकेदार ने बिना गुणवत्ता का पता लगाए पेन स्टॉक पाइप प्रतिस्थापित की, जिसके परिणामस्वरूप जंगतंगपु लघु हाइडिल विद्युत (एमएचपी) परियोजनाओं से फाइबर पेन स्टॉक पाइप की क्षति व रिसाव की सूचना दी गई। परन्तु एपीईडीए द्वारा ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई।

एपीईडीए ने उत्तर दिया कि अनुबंधित लागत के 15 *प्रतिशत* से अधिक रखा लिया है तथा दोषपूर्ण कार्य की लागत को अंतिम भुगतान जारी करने से पूर्व वसूल कर लिया जाएगा।

4.5 अतिव्यापी कार्य

एपीईडीए तथा डीएचपीडी द्वारा खादियाब एसएचपी परियोजना के निर्माण हेतु दोनों डीपीआर में 10 गांवों को कवर किया तथा यही गाँव आरजीजीवीवाई कार्यक्रम के अंतर्गत भी कवर किए गए। इस प्रकार एजेंसी तथा विभाग के बीच उचित योजना तथा तालमेल की कमी के कारण परिणामतः गांवों की अतिव्यापी हुई, जो अनावश्यक व्यय का कारण हो सकती है।

उत्तर में, डीएचपीडी ने कहा कि डीएचपीडी तथा एपीईडीए द्वारा तैयार की गई गांवों की सूची में से केवल दो गांवों (तनिया व सूबे) अतिव्यापी हुए है।

उत्तर तर्क संगत नही था क्योंकि छह गांव डीएचपीडी तथा एपीईडीए द्वारा तैयार डीपीआर में थे। इसके अतिरिक्त, डीपीआर की सूची के गांव, ग्रिड के द्वारा बिजली की पूर्ति हेतु आरजीजीवीवाई के अंतर्गत लिए गए थे।

4.6 बिना निविदा प्रक्रिया के दिये गए कार्यआदेश

जीएफआर के अनुसार, कार्य खुली निविदा द्वारा निष्पादित किए जाने थे तथा केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग कार्य मैनुअल के अनुसार ₹ 50,000 से अधिक सभी कार्य हेतु निविदा मंगवाने चाहिए। लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि:

i. मार्गनिर्देशों के विपरीत, डीएचपीडी ने बिना निविदा प्रक्रियाओं का पालन किये ₹ 68.86 करोड़ की कीमत वाले प्रधानमंत्री के पैकेज के अंतर्गत 17 परियोजनाओं के संबंध में सिविल तथा ईएण्डएम का कार्य किया। कई सिविल कार्य, तकनीकी स्वीकृति या खुले निविदा के बिना, कार्य आदेश जारी करके स्थानीय ग्रामीणों (कथित भू दानी) द्वारा निष्पादित कराये गये।

   डीएचपीडी ने बताया कि विभाग ने कार्य आदेश को अर्थ वर्क कॉम्पोनेट खण्डशः आधार पर कार्य का विभाजन कर निष्पादित किया।

   उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कार्य मार्गनिर्देशों का उल्लंघन करके किए गये तथा कार्य निष्पादन की गुणवत्ता व मितव्यतता को सुनिश्चित किए बगैर किए।

ii. एमएनआरई ने कैम्बंग एमएचपी परियोजना के निर्माण हेतु ₹ 4.70 करोड़ दिए (2006–07)। तथापि, डीएचपीडी ने बिना एमएनआरई के अनुमोदन के 2006–07 में बाढ़ द्वारा कैम्बंग एमएचपी परियोजना, के निर्माण में हुई क्षति के पुननिर्माण कार्य हेतु ₹ 0.79 करोड़ का अपयोजन किया। बिना खुले निविदा के, व्यक्तियों को कार्य आदेश जारी करके कई कार्य निष्पादित किए गए।

डीएचपीडी ने उत्तर दिया कि अचानक आई बाढ़ से गाद निकालने वाला टेंक गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुआ तथा बिजली पूर्ति की सामयिक वापसी हेतु तत्काल परिशोधन आवश्यक था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि बिना अनुमोदन के राशि को बाढ़ क्षति हेतु अपयोजित किया गया।

5. निगरानी

i. कैम्बंग, सिप्पी तथा नूरानांग एसएचपीए परियोजनाओं को छोड़कर, सभी चालू परियोजनाओं के संबंध में एमएनआरई को मासिक उत्पादन डाटा प्रस्तुत नहीं किए।

ii. एपीईडीए ने न तो कार्य प्रगति की निगरानी की और न ही डीएचपीडी या विद्युत विभाग से प्रगति रिपोर्ट प्राप्त की।

iii. डीएचपीडी ने जून 2009 से मार्च 2014 तक प्रधानमंत्री पैकेज के अंतर्गत तीसरी पक्ष जैसे नाबार्ड सलाहकार सर्विसेज, (प्राइवेट) लिमिटेड (एनएबीसीओएन) तथा आल्टरनेट हाइड्रो ऊर्जा केन्द्र, आईआईटी रूड़की द्वारा 94 एसएचपी परियोजनाओं में से 67 एसएचपीए परियोजनाएं की निगरानी की। तथापि, अन्य 27 एसएचपी परियोजनाएं किसी भी एजेंसी द्वारा बिना निगरानी के रहीं।

एमएनआरई ने बताया (मई 2015) कि एएचईसी और आईआईटी, रूड़की को बेतरतीब आधार पर एसएचपी परियोजनाओं के कार्य की निगरानी का कार्य सौंपा गया तथा उन्होनें एसएचपी परियोजनाओं की नियमित निगरानी की। पिछले अनुच्छेद में किए गए लेखापरीक्षा निष्कर्षों जिसमें बताया गया कि 38 परियोजनायें अभी भी पूरी होनी थी के संदर्भ में एमएनआरई के उत्तर पर विचार करना चाहिए।

6. रखरखाव

6.1 उपकरण की गैर–मरम्मत /प्रतिस्थापन

मैसर्स बीआईईईसीओ लॉवरी लिमिटेड कोलकाता टर्नकी ठेकेदार द्वारा ईकाई-II (250 किलोवाट) के अप्रतिस्थापन तथा ईकाई-I (250 किलोवाट) में गैर मरम्मत/ परिशोधन की वजह से श्रीकोरंग एसएचपी परियोजना संचालन के अंतर्गत रहा, परिणामतः ₹ 0.44 करोड़ की कीमत का 2.08[7] मिलियन यूनिट उत्पादन की हानि (अगस्त/2003 से जुलाई /2014) तथा ₹ 6.40 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ ।

6.2 वार्षिक रखरखाव ठेका (एएमसी)

समझौते की शर्तों के अनुसार 5,852 सौर होम लाइटिंग सिस्टमस् (एसएचएलएस) के संस्थापन के दो साल (जुलाई 2014) के बाद भी एपीईडीए ने पूर्तिकर्ताओं के साथ एएमसी नहीं की। परिणामस्वरूप, संस्थापित प्रणालियों की आजीवन दक्षता/अपेक्षा को सुनिश्चित नहीं किया जा सका। इसके कारण रिकार्ड में नहीं थे।

एपीईडीए ने बताया कि पार्टियों के साथ वास्तविक अनुबंध समझौते में एएमसी अंर्तनिहित था। यह और बताया गया कि विभिन्न तार्किक तत्वों, साइट कठिनाइयों, लाभार्थियों की जागरूकता की कमी तथा निधि दबाव के कारण एएमसी का प्रभावी कार्यान्वयन कठिन था। तथ्य यह है कि एपीईडीए एएमसी का कार्यान्वयन नहीं कर सकी।

[7] 2.08 मिलियन यूनिट x ₹ 2.09 प्रति यूनिट = ₹ 0.44 करोड़।

एमएनआरई ने बताया (मई 2015) कि उसने एपीईडीए को पीवी इक्युपमेंट सप्लायर्स के एएमसी को ठेका अनुबन्ध का भाग बनाने को कहा है और तद्नुसार यह अनुबन्ध का भाग था तथापि एएमसी का प्रभावी कार्यान्वयन एपीईडीए अर्थात कार्यान्वयन एजेंसी के पास था।

6.3 सेवा केन्द्रों की स्थापना

समझौते के नियमों के अनुसार, ठेकेदारों से उपेक्षित था कि वे प्रत्येक जिले में या प्रत्येक 500 एसपीवी सिस्टम हेतु एक तकनीशियन और सभी अतिरिक्त पुर्जों के साथ एक सेवा केन्द्र स्थापित करें। सम्पूर्ण समझौते अवधि हेतु एपीईडीए परियोजना अधिकारियों द्वारा प्रत्येक तीन माह में एक रखरखाव रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। तथापि, ठेकेदारों ने एपीईडीए को रखरखाव रिपोर्ट प्रस्तुत नही की।

एपीईडीए ने बताया कि सभी जिला मुख्यालयों में ठेकेदारों द्वारा सेवा केन्द्रों की स्थापना की गई तथा सेवा केन्द्रों ने प्रारम्भिक रूप में संतोषजनक कार्य किया। दो साल की वारंटी अवधि की समाप्ति पर भी प्रदान किए गए सिस्टम के कार्य में कोई शिकायत नहीं थी, इसीलिए सुरक्षा जमा/बैंक गारन्टी जारी कर दिए गए।

एपीईडीए द्वारा दिए गए उत्तर से एमएनआरई सहमत थी। तथापि, का इस पर विचार किया जाना आवश्यक था कि सेवा केन्द्रों की अनुपस्थिति में एसपीबी सिस्टमों का रखरखाव कैसे होगा।

7. निष्कर्ष

सौर ऊर्जा तथा लघु जल विद्युत परियोजनाओं द्वारा अरूणाचल प्रदेश के सीमा पर स्थित जिलों के 1605 गांवों के विद्युतीकरण हेतु जनवरी 2008 में ₹ 550 करोड़ के एक विशेष प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा की गई। यह परियोजना दिसम्बर 2011 तक पूरी होनी थी। ₹ 516[8] करोड़ की निधि योजना आयोग तथा एमएनआरई द्वारा जारी की गई।

2013–14 तक केवल 1,051[9] अर्थात 65 *प्रतिशत* गांवों का ही विद्युतीकरण हुआ। लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि कमी का कारण निधि की गैर–उपलब्धता तथा परियोजनाओं के पूरा होने में देरी थी। योजना आयोग द्वारा निधित 36 मेगावाट की नौ लघु जल विद्युत परियोजनायें ₹ 358.46 करोड़ का व्यय करने के बावजूद अपूर्ण रहीं। एमएनआरई द्वारा स्वीकृत नौ मेगावाट की कुल क्षमता की 38 परियोजनायें भी अपूर्ण रहीं। पूरा होने के बावजूद भी कुछ परियोजनाएं दोषपूर्ण उपकरण, प्राकृतिक आपदाओं, ठेकेदार द्वारा मरम्मत में निष्क्रीयता तथा ठेकेदार द्वारा परियोजना को छोड़ देने की वजह से कार्य न करते हुए पाई गई, जिसके परिणामस्वरूप ऊर्जा उत्पादन की हानि हुई। एमएनआरई ने स्वीकार किया 30 *प्रतिशत* परियोजनाएं कार्य नही कर रही थी।

लेखापरीक्षा ने कुछ जगहों पर अवलोकन किया कि अनुबन्ध के नियम व शर्तें, जीएफआर के प्रावधान, निविदा प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया तथा किया गया कार्य अवमानक था।

---

[8] एमएनआरई – ₹ 241.32 करोड़ तथा योजना आयोग – ₹ 274.56 करोड़।

[9] एसपीवी – 523 तथा एसएचपी–528।

लेखापरीक्षा ने आगे यह भी अवलोकन किया कि पहले दो वर्षों के बाद स्थापित सौर उपकरणों के रखरखाव हेतु वार्षिक रखरखाव अनुबन्ध नही था। परियोजनाओं के रखरखाव हेतु कोई सेवा केन्द्र कार्य नहीं कर रहा था। एमएनआरई और राज्य एजेंसी द्वारा लघु जल विद्युत परियोजनाओं की निगरानी के कार्यान्वयन की निगरानी में कमी थी।

8. सिफारिश

- *एमएनआरई अरूणाचल प्रदेश के लिए प्रधानमंत्री के विशेष पैकेज के अन्तर्गत किए गए कार्य की समीक्षा करे और विलम्बित परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए राज्य एजेंसियों के सहयोग से कार्रवाई करे, प्रतिष्ठापित परियोजनाओं के प्रचालन और उनका पर्याप्त पश्च परियोजना अनुरक्षण सुनिश्चित करे।*